कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, होफ, राजस्थान, जयपुर

F14 (Rail) 2015/FCA/PCCF/ CCF –II Dated 28-6-2017

Deputy Chief Engineer (Construction) Northern Western Railway Udaipur द्वारा **Gauge Conversion of Udaipur – Ahamdabad Railway line** कार्य हेतु उदयपुर जिले के डेडकिया, खरबा, झलि का गुडा, जगत, बगूरवा, एकलिंगपुरा, ओडा जिला उदयपुर मे 35.7823 है0 वन भूमि के अनारक्षण हेतु online पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/RAIL/20470/2016 दिनांक 14.7.2016 को रजिस्टर किया गया था। मुख्य वन संरक्षक उदयपुर के पत्र दिनांक 23.6.2017 से संशोधन किया जाकर पुनः प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नांनुसार टिप्पणी प्रस्तुत है।

1. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या A-1 (x) में प्रत्यावर्तन अवधि अंकित नही की गई है। जो प्रस्तावित है।
2. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या C-b (ii) में KML file संलग्न नही है। पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
3. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या D में प्रसताव की औचित्यता एवं किये गये विकल्पों का अध्ययन संलग्न किया गया है किन्तु इस हार्ड प्रति के साथ डिजिटल मेप (KML file) में प्रस्तुत नही किया गया है जो प्रस्तावित है।
4. प्रस्ताव के बिन्दु संख्या K में वनाधिकार प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है किन्तु इसमें ग्राम सभा से प्राप्त बैठक कार्यवाही विवरण में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन भूमि के अनुसार नही है एवं विवरण में वनाधिकार होने अथवा नही होने का कोई उल्लेख नही है संशोधित प्रमाण पत्र लिए जाने प्रस्तावित है।
5. यूजर ऐजेन्सी द्वारा अतिरिक्त सूचनाओं में जिला कलेक्टर द्वारा गैर वन भूमि के आरक्षित किये जाने का प्रमाण पत्र सही रूप से अपलोड नही किया गया है पुनः अपलोड किया जाना प्रस्तावित है।
6. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा प्रस्ताव के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 5 में कार्य आयोजना विवरण की पूर्ती संबंधित कॉलम में न करके पृथक से दस्तावेज संलग्न किया गया है जबकि संबंधित कॉलम में पूर्ती की जानी प्रस्तावित है।
7. उप वन संरक्षक (उत्तर) द्वारा प्रस्ताव में इको क्लास ।।। एवं घनत्व 0.4 अर्थात ओपन फारेस्ट अंकित किया गया है जबकि एन0पी0वी0 गणना में घने वन की दर लगाई गई है जो सही नही है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित हे।
8. उप वन संरक्षक (उत्तर) द्वारा प्रस्ताव में स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है जबकि हार्ड प्रति में संलग्न है। पार्ट ।। में लगाया जाना प्रस्तावित है।
9. पेडों की कीमत की दर दोनो वन मंडलो द्वारा पृथक – पृथक (250/– प्रति क्वि0 एवं 400/– प्रति क्वि0) ली गई है जबकि दोनो वन मंडल एक ही जिले में स्थित है। एक ही दर ली जानी अपेक्षित है।
10. उप वन संरक्षक उदयपुर द्वारा संलग्न स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में प्रत्यावर्तित होने वाले वन की विधिक स्थिति नही भरी गई है जो अपेक्षित है।
11. प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति में पूर्ण एवं अनावयश्क दस्तावेज संलग्न है जिसे हटाया जाकर संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव में उक्त कमियों की पूर्ती मुख्य वन संरक्षक उदयपुर से कराई जानी प्रस्तावित है इस हेतु मुख्य वन संरक्षक को निर्देशित किया जाता है।